‘विकलांगता शिखर सम्मेलन, 2019’

drishtiias.com/hindi/printpdf/disability-summit,-2019

चर्चा में क्यों?

‘विकलांगता शिखर सम्मेलन 2019’ (Disability Summit, 2019) के द्वितीय संस्करण का आयोजन 6-8 जून, 2019 के बीच अर्जेंटीना गणराज्य के ब्यूनस आयर्स शहर में किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

इस सम्मेलन में अर्जेंटीना सरकार (Government of Argentina), इंटरनेशनल डिसएबिलिटी अलायंस (International Disability Alliance- IDA) और विकलांगों के गैर-सरकारी संगठनों के लैटिन अमेरिकी नेटवर्क तथा उनके परिवारों (Latin American Network of Non-Governmental Organizations of Persons with Disabilities and their Families-RIADIS) ने संयुक्त रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।

वर्ष 2018 में प्रथम ‘वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन’ का आयोजन लंदन में किया गया था।

- इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों के पूर्ण समावेशन को सुनिश्चित करना और उनके अधिकारों, स्वतंत्रता एवं मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने के लिये लैटिन अमेरिका और विश्व की प्रतिबद्धता को मज़बूती प्रदान करना है।
- इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से सरकारों, विकलांग लोगों के संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियों, शिक्षा और निजी क्षेत्र को एक साथ लाया जाएगा, ताकि विकलांग लोगों के लिये वास्तविक रूप में परिवर्तन पर कार्य किया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन

International Disability Alliance (IDA)

- अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता गठबंधन **(IDA)** विकलांग व्यक्तियों के आठ वैश्विक और छह क्षेत्रीय संगठनों का एक संघ है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र में विकलांग लोगों और उनसे संबंधित संगठनों के लिये अधिक समावेशी वैश्विक वातावरण का समर्थन करता है।
- विश्व स्तर पर IDA अपने सदस्य संगठनों के साथ मिलकर दुनिया भर में अनुमानित एक अरब विकलांग लोगों का प्रतिनिधित्त्व करता है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय

(United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities-UNCRPD)

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD) एक स्वैच्छिक संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल है। इसे 13 दिसंबर, 2006 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया।
- इस वैश्विक अभिसमय का मुख्य उद्देश्य विकलांगों के अधिकारों और उन्नति को बढ़ावा देना है, जो अन्य प्रासंगिक मानवाधिकारों एवं विकास साधनों के रूप में विश्व कार्यक्रम (1982), मानक नियम (1994) और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (2006) के साथ-साथ एक व्यापक जनादेश के अंतर्गत आते हैं।
- भारत ने भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD) पर हस्ताक्षर किये हैं, 1 अक्तूबर, 2007 को भारत ने इसकी पुष्टि की। फलस्वरूप यह अभिसमय 3 मई, 2008 को प्रभावी हुआ।
- भारत में **'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2016'** (The Rights of Persons with Disabilities Bill, 2016) पारित किया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिये **अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस '3 दिसंबर'** को मनाया जाता है।

स्रोत- IDA, UNCRPD की आधिकारिक वेबसाइट